न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 126/2007 दायर दिनांकः 15/09/2007

उनवान

1. रणवीर सिंह त्यागी आयु 81 वर्ष पुत्र श्री रामप्रसाद त्यागी

1/1 अजय त्यागी पुत्र रणवीर सिंह त्यागी।

1/2 विश्वास त्यागी पुत्र रणवीर सिंह त्यागी।

1/3 प्रशान्त त्यागी पुत्र रणवीर सिंह त्यागी जाति त्यागी ब्राह्मण निवासीगण खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मूलचन्द जाति माली
2. लटूरलाल पुत्र मूलचन्द जाति माली
3. प्रेमबाई पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासीगण कब्रिस्तान की मस्जिद के पास छोटुलाल चौधरी का मकान बारां जिला बारां राज।
4. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तह0 अटरू जिला बारां राज0।
5. रामगोपाल पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी कवाई तह0 अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92"ए",'188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौतम ।

प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन ।

आदेश दिनाक : 11/04/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92"ए", 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि हाल सेटलमेन्ट सन 1989 के पूर्व ख.नं 48 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम एवं माल खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू में स्थित चली आ रही है । जिसके हाल ख0 नं0 8 रकबा 0.47 है0 है। उक्त भूमि मांग्या पुत्र कंवरिया जाति माली के खाते चली आ रही है, मांग्या का स्वर्गवास हो चुका है। मांग्या लाऔलाद था। मांग्या ने अपने जीवनकाल में प्रति0 कम 1 व 2 के

पिता मूलचन्द को गोद ले लिया था। मूलचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 मूलचन्द के वारिस होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि पर वादी का पिछले करीब 46 वर्षों से संवत् 2018 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। वादी का राजस्व रिकार्ड में बतौर जेली काश्त दर्ज है। वादीगण का उक्त भूमि पर आज तक बेरोकटोक लगातार कब्जा चला आ रहा होने से विपरित कब्जे के आधार पर बाई आपरेशन ऑफ लॉ वादी को खातेदारी अधिकार एक हो चुके है। वादी अपने आप को आराजी का खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है। इस हेतु यह वाद पत्र पेश कर रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने खातेदार मांग्या का अपने आप को वारिस बताकर दिनांक 10.09.2007 को इंतकाल खुलवाने का प्रयास किया तथा विवादग्रस्त आराजी पर आकर वादी को धमकी दी कि इंतकाल खुल जाने के बाद उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेगें। प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 वादी को आराजी से बेदखल करने पर उतारू है तथा आराजी को दीगर जगह मुन्तकील करने पर उतारू है। जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं रह गया है। प्रति0 क्रम 1 व 2 ने उक्त आराजी का अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाकर आराजी को मुन्तकील कर दिया या आराजी पर से बेदखल कर कब्जा कर लिया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किया जाना संभव नही होगा व वादी को अनेकानेक मुकदमेबाजी में उलझना पडेगा। प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल द्वारा वाद के विचाराधीन रहते हुये वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि का स्वयं की पत्नी प्रेमबाई के बेचान कर दिये जाने से प्रेमबाई के पक्ष में खोले गये इन्तकाल नं 294 को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रति0 क्रम 3 प्रेमबाई द्वारा वाद के विचाराधीन रहते हुये वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि को रामगोपाल पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी कवाई प्रति0 क्रम 5 को बेचान कर दिये जाने से रामगोपाल के पक्ष में खोले गये इन्तकाल नं0 348 को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने का अधिकारी है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी क्रम 4 बनाया गया है। राजस्थान सरकार को 2 माह का नोटिस प्रेषित कर दिया है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो जावेगें। मामला आवश्यक प्रकृति का होने से वादी धारा 80(2) सी.पी.सी. एग्जम्सन चाहकर वाद पेश करने के अधिकारी है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश है। वादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र ग्राम खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू में स्थित होने से इस वाद को न्यायालय द्वारा श्रवणधिकार प्राप्त है। वाद कारण पिछले 46 वर्षों से वादी का उक्त आराजी पर संवत् 2018 से लगातार आज तक कब्जा चला आ

रहा होने से विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार एक हो जाने के कारण व दिनांक 10.9.2007 को प्रति0क्रम 1 व 2 द्वारा उक्त आराजी का इंतकाल अपने पक्ष में खुलवाकर वादी को बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन है कि के पक्ष में निम्न डिक्री प्रदान की जावेः–

(अ) ग्राम एवं माल खेडलीगंज अटरू में स्थित आराजी ख0नं0 8 रकबा 0.47 है0 भूमि का दोरान वाद प्रेमबाई एवं रामगोपाल के पक्ष में किये गये बेचान के आधार पर खोले गये इंतकाल नं0 294 एवं 348 को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल करवाया जावे।

(ब) स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी क्रम 3 को पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी ख0नं0 8 रकबा 0.47 है0 भूमि ग्राम खेडलीगंज तहसील अटरू को किसी प्रकार से मुन्तकील न करें तथा वादी के शान्तिपूर्ण काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 4 तहसीलदार अटरू द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि उक्त प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होता है तथा सरकार मात्र फोरमल पक्षकार है। प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश किया गया कि वाद पत्र का मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 2 की जानकारी प्रतिवादी क्रम 5 को नहीं होने की वजह से उक्त मद स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का मद नं0 3 जिस तरह से लिखा है। स्वीकार नहीं है। क्योंकि आराजी ख0नं0 8 का रकबा 0.47 है0 प्रतिवादी क्रम 5 ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा खातेदार प्रेम बाई से खरीद करके कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा जिस समय आराजी प्रतिवादी क्रम नं0 5 रामगोपाल ने खरीद की थी उस दिन आराजी पर कब्जा प्रेमबाई का था और प्रेम बाई द्वारा मौके पर आराजी बताकर प्रतिवादी क्रम नं0 5 को कब्जा दिया था उसके बाद प्रतिवादी क्रम नं0 5 द्वारा तहसील अटरू में

सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र आराजी का सीमाज्ञान कराया उसके बाद जमीन को हांक जौतकर करके फसल सोयाबीन बोने के लिये खेत को तैयार किया यह सारी कार्यवाही माह जुलाई 2011 में की थी लेकिन प्रतिवादी क्रम नं0 5 रामगोपाल ग्राम कवाई तहसील अटरू में निवास करता है। तथा वादीगण ग्राम खेडलीगंज में निवास करते है। प्रतिवादी क्रम नं0 5 का कवाई में निवास करने का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण ने उक्त वाद में विवादित आराजी को हांक दिया तथा प्रतिवादी क्रम नं0 5 को खेत पर नहीं आने की धमकी दी उसके बाद से आराजी ख0नं0 8 का रकबा 0.47 है0 मौके पर पिछले 2 वर्षों से पडत पडी हुई है। सन 2011 व 2012 में कोई काश्त नही की है। लेकिन आराजी प्रतिवादी क्रम नं0 5 के कब्जे में तथा स्वामित्व की है। लेकिन वादीगण प्रति0 क्रम नं0 5 को काश्त नहीं करने दे रहे है। वाद पत्र का मद नं0 4 का विवरण प्रतिवादी क्रम नं0 5 की जानकारी में नहीं होने की वजह से उक्त मद नं0 4 स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का मद नं0 5 जिस तरह से दर्ज किया है। स्वीकार नहीं है। तथा वर्तमान आराजी प्रतिवादी क्रम नं0 5 के कब्जे की तथा स्वामित्व की है। वाद पत्र का मद नं0 5 ए जिस तरह से दर्ज किया है। स्वीकार नहीं है। क्योकि खातेदार बाबूलाल से आराजी प्रेमबाई द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 13.10.2007 को 1,40,000 रूपयों में क्रय की थी जो प्रेमबाई के नामान्तरण संख्या 294 दिनांक 20.11.2007 को खाते दर्ज हो गई थी इस वजह से प्रेमबाई के आराजी ख0नं0 8 का रकबा 0.47 है0 माल खेडलीगंज की रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर खाते दर्ज हुई थी इस वजह से नामान्तरण संख्या 294 दिनांक 20.11.07 वैध है। वाद पत्र का मद नं0 5 (बी) जिस तरह से दर्ज किया गया है। स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी क्रम नं0 5 रामगोपाल ने आराजी ख0नं0 8 का रकबा 0.47 है0 माल खेडलीगंज तहसील अटरू की जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 19.07.2011 को 4,50000 रूपये में क्रय की है। जो नामान्तरण संख्या 348 से प्रतिवादी क्रम नं0 5 के खाते दर्ज हो चुकी है। वर्तमान में आराजी ख0नं0 8 का रकबा 0.47 है0 प्रतिवादी क्रम नं0 5 के स्वामित्व की तथा कब्जे काश्त की है। इस वजह से नामान्तरण संख्या 348 वैध है। वाद पत्र का मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 9 पूरा ही मनघढन्त तथ्यों पर दर्ज होने की वजह से स्वीकार नहीं है। वादीगण का वाद काबिल निरस्तनीय है। वाद पत्र का मद नं0 10 अस्वीकार है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं है।

विशेष कथन मय प्रतिवाद पत्र

वाद पत्र का मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 8 का रकबा 0.47 है0 प्रतिवादी कम न0 5 के स्वामित्व की एवं कब्जे काश्त की है। लेकिन वादीगण प्रतिवादी कम नं0 5 को उसके स्वामित्व की आराजी को शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देते है। प्रतिवादी कम नं0 5 द्वारा आराजी को खरीदने के बाद में 2, 3 बार हांक जोत कर फसल बोने के लिये तैयार की लेकिन प्रतिवादी कम नं0 5 ग्राम कवाई में निवास करता है। इसका नाजायज फायदा उठाकर वादीगण प्रतिवादी कम नं0 5 की अनुपस्थिति में खेत में पहुंच जाते थे तथा धमकियां देते थे कि जो भी काश्त करने आयेगा उसको देख लेंगें इस तरह उक्त मद नं0 में वर्णित आराजी पिछले दो वर्षों से पडत पडी हुई है। वादीगण प्रतिवादी कम न0 5 को काश्त नहीं करने दे रहे है। हमेशा झगडा करने पर आमादा रहते है। इस वजह से प्रतिवादी कम न0 5 जवाब दावा मय प्रतिवादी पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है। कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी कम नं0 5 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को आराजी ख0नं0 8 का रकबा 0.47 है0 पर से बेदखल किया जाकर कब्जा प्रतिवादी कम 5 रामगोपाल पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी कवाई को दिलाया जावे। तथा स्थायी निषेधाज्ञा से वादीगण को पाबन्द फरमाया जावे की वह प्रतिवादी कम नं0 5 को शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 8 का रकबा 0.47 है0 प्रतिवादी कम नं0 5 के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की है। जिसको प्रतिवादी कम नं0 5 द्वारा खातेदार से दिनांक 19.07.2011 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय विलेख द्वारा 4,50000 रूपयों में कय की थी जो नामान्तरण संख्या 348 से प्रतिवादी कम नं0 5 के खाते दर्ज हो चुकी है। खरीद की तारीख से आराजी प्रतिवादी कम नं0 5 के स्वामित्व एवं कब्जे में चली आ रही है लेकिन वादीगण प्रतिवादी कम नं0 5 को काश्त नहीं करने दे रहे है। जबरन जमीन को हांक देते है। जबकि आराजी प्रतिवादी कम नं0 5 के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की है। जिसका उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्रतिवादी कम नं0 5 को है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश करने का कारण दिनांक 17.04.2012 को पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी कम नं0 5 के खिलाफ दावा पेश किया जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः प्रतिवादी कम नं0 5 रामगोपाल जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी कम नं0 5 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाते हुये वादीगण को वाद पत्र के मद नं 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 8 का रकबा 0.47 है0 माल खेडलीगंज तहसील अटरू की पर से बेदखल किया जाकर कब्जा प्रतिवादी कम नं0 5 को दिलाया जावे तथा कि वह प्रतिवादी कम नं0 5 को

उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 8 का रकबा 0.47 है0 माल खेडलीगंज तहसील अटरू को शांन्ती पूर्वक काश्त करने देवे।

3. वादी रणवीरसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी. पेश किया गया। प्रकरण के पक्षकारों के मध्य समान विषय विषय वस्तु को लेकर प्रतिवादी प्रेमबाई पत्नी बाबूलाल द्वारा इसी न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या 126/2007 दायर किया गया। अतः वादी रणजीत सिंह द्वारा धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश उपरांती वाद संख्या 106/2009 को कार्यवाही को स्टे करने का निवेदन किया। वादी का प्रार्थना स्वीकार किया उपरांत वाद संख्या 106/2009 की कार्यवाही को स्थगित इस प्रकरण के साथ मर्ज किया गया।

4. वादीगण द्वारा जवाब उल जवाब पेश न करने के कारण जवाब उल जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी द्वारा मूल वाद के उपरान्त दावे व जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र के आधार पर लिखित तनकीयात कायम की। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** का शपथ पत्र पेश किया गया और शेष साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर दिये जाने पर पेश न करने के कारण शेष साक्ष्यवादी बन्द किये गये। अभिभाषक वादीगण को अनेकों अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर वादीगण का वाद खारिज किया गया।

5. साक्ष्य प्रतिवादी के तहत **dw 1** रामगोपाल के बयान लेखबद्ध किये। रामगोपाल में अपने शपथ पत्र में बताया कि मैने ग्राम खेडलीगंज के ख0नं0 8 की 0.47 है0 आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 19.07.2011 को 4,50,000 रू ममें क्रय की थी जो नामान्तरण संख्या 348 से दिनांक 12.09.2011 से मेरे खाते दर्ज हो गई। मैने आराजी क्रय करने के बाद उक्त आराजी का कब्जा प्राप्त कर 2–3 बार हांक जोत कर फसल बोने के लिये तैयार कर ली थी लेकिन मैं कवाई में निवास करता था उसका नाजायज फायदा उठाकर उस पर जबरन अतिक्रमण करके अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया। उक्त आराजी से वादीगण को बेदखल कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। साक्ष्य प्रतिवादी पेश न करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये गये।

6. अभिभाषक प्रतिवादी की एक तरफा बहस सूनी अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि प्रतिवादी क्रम 5 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 8 रकबा 0.47 है0 माल खेडलीगंज वादीगण को बेदखल कर कब्जा सम्मलाया जावे।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खेडलीगंज की सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी संवत 2036—40 एवं बाद की जमाबन्दी संवत 2062—65 तथा भू प्रबंन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0नं0 48 के अवलोकन से जाहिर है कि साबिक ख0नं0 48 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा हाल ख0नं0 8 रकबा 0.47 है0 मांग्या पुत्र कंवरिया जाति माली के खाते दर्ज था। ग्राम खेडलीगंज के नामान्तरण संख्या 292 दिनांक 08.10.2007 के तहत तहसीलदार अटरू द्वारा उक्त आराजी मांग्या पुत्र कंवरया जाति माली के मृयु के बाद गणेशराम, नंदलाल, चतुर्भुज पुत्रान गोपाल जाति माली के दर्ज रिकार्ड की गई। इसके बाद खातेदारों द्वारा उक्त भूमि का जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रेमबाई पत्नी बाबूलाल जाति माली को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरण संख्या 294 दिनांक 17.10.2007 तस्दीक किया गया। इस प्रकार प्रेमबाई पत्नी बाबूलाल विवादित आराजी की बोनाफाईड अभिलिखित खातेदार थी। खातेदार प्रेमबाई पत्नी बाबूलाल ने विवादित आराजी को जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2011 से प्रतिवादी क्रम 5 रामगोपाल पुत्र मदनलाल माली को 1,40,000 रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया (प्रदर्श 1 व 2) जिसका ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 संख्या 348 दिनांक 12.09.2011 को तस्दीक किया गया। वादीगण के पिता का नाम संवत 2018—21 व 2022—25 की खसरा गिरदावरी में जैली काश्तकार के रूप में दर्ज था । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि कोटा रियासत के जैली काश्तकार को उपकृषक नहीं माना जा सकता और केवल गिरदावरी में प्रविष्टी मात्र से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।

8. इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 5 उक्त भूमि का बोनाफाइड अभिलिखित खातेदार है और अभिलिखित व बोनाफाइड खातेदार को वादीगण द्वारा बेदखल कर उसके हक व अधिकार छीनना विधिविरूद्ध है। यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है—

Sec- 188- Injunction against wrongful Ejectment-

(1) Any tenant whose right or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person, may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may afer making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely

**(a)	If there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;**

**(b)	If the invasion is such that pecuniary compensation doed not afford adequate relief;**

**(c)	Where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.**

**(d)	Where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.**

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादी क्रम 5 का प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है और प्रतिवादी क्रम 5 का **Counter-claim** स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादित भूमि पर से वादीगण को बेदखल कर प्रतिवादी क्रम 5 को 1 माह के अन्दर कब्जा सम्भलाया जावे तथा वादीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम 5 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न करे।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां